उ0प्र0आवास एवं विकास-परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 18-12-1986 तथा 22-12-86 को हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1986 की पंचम बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री ज्ञान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री माता प्रसाद		सदस्य
3-	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
4-	श्री परमात्मा प्रसाद सिंह		सदस्य
5-	श्री योगेश बंसल		सदस्य
6-	श्री आर0के0श्रीवास्तव	(वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7-	श्री जे0एन0सक्सेना	संयुक्त सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8-	श्री चन्द्र पाल	आवास आयुक्त	सदस्य
9-	श्री वेद प्रकाश शर्मा	अपर आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 23-9-86 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पंचम/(1)/86	परिषद की दिनांक 23-9-86 को हुई बैठक की कार्यवाही की इस संशोधन के साथ पुष्टि की गयी कि मद सं0-71 के तृतीय पंक्ति में ''राजाजीपुरम'' के स्थान पर ''इन्दिरा नगर'' पढ़ा जाय।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 23-9-86 की अनुपालन आख्या।	पंचम/(2)/86	परिषद द्वारा दिनांक 23-9-86 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की समीक्षा की गयी तथा परिषद ने अनुमोदन किया।
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	पंचम/(3)/86	दिनांक 17-12-86 को हुई अनुश्रवण समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद के अनुमोदनोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अनुश्रवण समिति की गत बैठक के निर्णयों पर क्या क्या अनुपालन किया गया यह भी समीक्षा की गयी।
4-	हडको वित्त पोषित 4 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(4)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उच्च आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग इत्यादि कालोनियों में शापिंग काम्पलेक्स के लिये भी ऋण लेने का प्रयास किया जाय।
5-	देहली रोड योजना हरिद्वार के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार कौशिक तथा आनन्द स्वरूप कौशिक को भूमि प्रदेशन के सम्बन्ध में।	पंचम/(5)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
6-	अयोध्या मार्ग योजना, फैजाबाद बेतियाहाता दक्षिणी योजना, गोरखपुर महादेव झारखण्डे योजना गोरखपुर तथा गोण्डा गिर्द योजना गोन्डा में कब्जा प्राप्त भूमि में बाह्य विद्युतिकरण के कार्य सम्पन्न कराने हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/(6)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के समक्ष देरी से ऐसे प्रस्ताव न आया करें। मुख्य अभियन्ता को इससे अवगत कराया गया।
7-	देहली रोड योजना, हरिद्वार में निर्मित एस०एन०एस०-94 के टाइप 'ए०' टाइप 'बी' एवं टाइप 'सी०' के क्रमशः 8, 43 तथा 20 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(7)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की तथा यह आशा की गयी कि परिषद के समक्ष ऐसे प्रस्ताव देरी से न प्रस्तुत किया जाया करें। मुख्य अभियन्ता को इससे आगाह किया गया।
8-	सिकन्दरा योजना, आगरा सेक्टर-1 में बाह्य विद्युतीकरण कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/(8)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
9-	श्री राजपत राय गुप्ता पंजीकरण सं०-एल०डब्लू०/एम०-902(6) को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(9)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
10-	परिषद कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के समय 'आउट आफ टर्न' भवन के सम्बन्ध में।	पंचम/(10)/86	परिषद के समक्ष विचार विमर्श में आवास आयुक्त ने यह तर्क रखा कि इस प्रकार की प्रथम गलत प्रथा होगी। अतः इसको स्वीकृत न किया जाये। विचारोपरान्त परिषद ने यह निर्णय लिया कि चूंकि श्री आई०ए०पराशरी अपने ए०जी० के विभाग में वापस चले गये हैं और अब यह परिषद के कर्मचारी नहीं हैं। अतः इनको आवास परिषद का कर्मचारी न मानते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये यह भवन आवंटित कर दिया जाय जो भविष्य में किसी भी दशा में दृष्टान्त नहीं बनेगा।
11-	श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, अवर-अभियन्ता को दिनांक 8-6-86 से 4-1-87 तक विशेष अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(11)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
12-	राजाजीपुरम योजना सेक्टर-2 में निर्माणाधीन म०आ०व०-53/127 प्रकार के 32 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(12)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
13-	देहरादून रोड योजना सं०-1 रुड़की में निर्माणाधीन दु०आ०व० के 16 तथा म०आ०व० के 25 + 44-69 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(13)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
14-	सिकन्दरा योजना आगरा से-8 में निर्माणाधीन दु०आ०व०-18/40 प्रकार के 267 भवनों एवं अ०आ०व०-29/60 प्रकार के 69 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय की पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(14)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
15-	श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, वित्त अधिकारी वेतनमान रु0 900-1770 को वेतनमान रु0 1350-2100 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(15)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
16-	परिषद के मुकदमों की पैरवी तथा भूमि अध्याप्ति में एक सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति।	पंचम/(16)/86	परिषद ने इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
17-	श्रीमती पुष्पा सिंह, पत्नी श्री रमाशंकर सिंह के नाम राजाजीपुरम योजना में आवंटित भूखण्ड सं0-एफ0-27 का परिवर्तन परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(17)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
18-	श्रीमती अज़रा कर्सी रोड योजना लखनऊ की आवंटी के ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(18)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 31-10-84 के बाद से कोई ब्याज अथवा दण्ड ब्याज न लिया जाय एवं यदि ले लिया गया हो तो उसे वापस कर दिया जाये।
19-	विभाग के प्रशिक्षण कोष्ठ तथा परिकल्पना खण्ड-प्रथम एवं तृतीय में से एक को निर्माण खण्ड में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(19)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
20-	निर्माण कार्यों एवं सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में राजकीय निर्माण निगम पद्धति के अनुरूप उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निविदा स्वीकृति समिति का गठन।	पंचम/(20)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
21-	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के सम्बन्ध में।	पंचम/(21)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि केवल अनुसूचित जाति ही नहीं अपितु सभी आरक्षित (जो परिषद द्वारा माने गये हैं) व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति भी सम्मिलित है का प्रतिशत इस प्रस्ताव के अनुसार पूरा किया जाय।
22-	ककरैल बांध द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को इन्दिरानगर लखनऊ में भवन आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(22)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री एस0पी0सक्सेना, संयुक्त सचिव, आवास की संस्तुति दिनांक 12-12-86 को ध्यान में रखते हुये जिन 7 व्यक्तियों का मामला संदर्भित हुआ है केवल उन्हीं को ही मानवीय दृष्टिकोण से विशेष रूप से पंजीकृत करके आउट आफ टर्न भवन दे दिया जाय परन्तु यह दृष्टान्त नहीं बनेगा।
23-	इन्दिरा नगर लखनऊ में श्रीमती शीला मेहरा को प्रदिष्ट भूखण्ड सं0-बी0-1617 के निरस्तीकरण के फलस्वरूप की गयी कटौतियों की धनराशि वापस करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(23)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रु0 15,353/- के कटौती का आर्डर निरस्त किया जाय। आवंटी के साथ हुई ज्यादती की जांच सम्बन्धित उप समिति करेगी। श्रीमती शीला मेहरा के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि जिस साइज का भूखण्ड उन्हें प्रारम्भ में दिया गया था उसी साइज के अनुरूप भले ही वह 300 वर्गमीटर से बड़ा क्यों न हो। भूखण्ड उन्हें दे दिया जाये ताकि उनको

1	2	3	4
			स्थिति पूर्ववत् बनी रहे। साथ ही भूखण्ड परिवर्तन शुल्क उनसे न लिया जाय।
24-	इन्दिरा नगर लखनऊ में कार्यालय हेतु प्रयोग किये जा रहे उच्च आय वर्ग भवन सं० ए०-967/23 श्री कामिल किदवई उ०प्र०सहकारी, आवास संघ लि० लखनऊ के पक्ष में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(24)/86	विचारोपरान्त परिषद ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किये:- (क) उपरोक्त भवन श्री कामिल किदवई को अध्यक्ष, सहकारी आवास संघ होने के नाते निम्न शर्तों पर आवंटित कर दिया जाय। और उसकी भूमि का मूल्य वर्तमान दर होगी। (ख) भवन में यदि कोई कार्यालय के समय अतिरिक्त निर्माण किया गया हो उसका अलग से मूल्य लिया जाय। (ग) जो निर्माण लागत पी०डब्लू०डी०के नियमों के अनुसार मुख्य अभियन्ता निर्धारित करें परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि इसको दृष्टान्त नहीं माना जायेगा। इस प्रस्ताव के साथ साथ निम्नलिखित दो निर्णय और लिये गये:- (1) उक्त कार्यालय केवल निर्माणावधि तक ही रखें जाये एवं कालोनी के अन्य भवन बिक जाने के एक वर्ष बाद तक यह कार्यालय समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि यह भवन निवास के लिये ही बने हैं। इस कार्यालय भवन की बिक्री के लिये सबसे अन्त में बिकने वाले भवन के मूल्य को आधार मानते हुए सामान्य भवनों में प्रति वर्ष की जाने वाली वृद्धि के अनुरूप वृद्धि करके बिक्री कर दी जाया करेगी। (2) ऐसे कर्मचारी जो 5 वर्ष से अधिक नियमित सेवा रखते हो जहां जहां योजनायें चल रही है वहां-वहां अपने आय वर्ग के अनुरूप पात्रता के अनुसार किस्तों पर भवन पा सकेंगे परन्तु उन्हें पूरे जीवन में ऐसा एक ही भवन मिलेगा एवं इसे वे परिषद की आज्ञा के बिना बिक्री नहीं कर सकेंगे।
25-	परिषद की पठान पुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 सहारनपुर (क्षेत्रफल 174.15 एकड़ अनुमानित लागत रु0 849.54लाख।	पंचम/(25)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त संयुक्त रूप से निर्णय कर परिषद के समक्ष अपनी संस्तुति रखेंगे।
26-	परिषद में कार्यरत कर्मचारी को सीधी भर्ती व्दारा उच्च पद पर चयनित कर लिये जाने की दशा में उसे सीधी भर्ती का कर्मचारी माना जाना।	पंचम/(26)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त परिषद ने यह मत बनाया कि ब्यूरो की टिप्पणी से परिषद सहमति नहीं है। अतः कार्मिक विभाग को संदर्भित कर दिया जाय कि परिषद कर्मचारियों का निर्णय परिषद ही करता है। अतः इस पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है।
27-	आवास आयुक्त व्दारा पारित दण्ड के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु गठित उप समिति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।	पंचम/(27)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उप समिति भंग की जाय और अब ऐसे समस्त मामले सीधे परिषद के समक्ष ही रखे जायेंगे एवं यदि किसी विशिष्ट मामले पर आवश्यकता होगी तो ऐसे मामले की

1	2	3	4
			उचित उप समिति का गठन किया जायेगा।
28	श्री विद्यासागर नौटियाल को प्रदिष्ट भवन सं०-डी०-8 से लगी हुई अतिरिक्त भूमि अर्थात् भूखण्ड सं०-डी०-7 को प्रदिष्ट करने हेतु।	पंचम/(28)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान दर अतिरिक्त भूमि वर्तमान दर और नकद पर दे दी जाये।
29	''कवाल'' शहरों की योजनाओं की मुख्य सड़कों पर ''ट्वुर'' प्यार करने सम्बन्ध में।	पंचम/(29)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन से नगरमहापालिकाओं के अनुरूप धन की मांग की जाय एवं शासन से अनुरोध किया जाये कि पूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र नगरमहापालिका को हस्तान्तरित कर दिया जाय। तब तक सड़क ''पेवर लेपन के कार्य को स्थगित रखी जाय।
30	मूल्यांकन निदेशिका-1986 में संशोधन। एक त्रुटि ठीक की गई।	पंचम/(30)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से मूल्यांकन निदेशिका निम्न संशोधन के साथ स्वीकृत की गयी:- प्रस्तर-5-1-9, 9 प्रतिशत का प्राविधान किया गया 5-1-12 (ग) दुर्बल आय वर्ग अल्प आय वर्ग तथा साइट एण्ड सर्विसेज पर 10 प्रतिशत व्याज लगाया जाय एवं मध्य आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, स्वयं वित्त पोषित योजना, भूखण्ड एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों पर 15 प्रतिशत व्याज लगाया जाय। ✓ प्रस्तर-5-2-7-2 इन शब्दों के बाद यह शब्द और जोड़ दिये जाये 'दुर्बल आय वर्ग तथा साइट एण्ड सर्विसेज में निम्न स्तर होता है तथा यह भवन केवल कमजोर वर्ग के लिये बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट दी जाय शब्दों के स्थान पर 5 प्रतिशत कम पर विकास मूल्य लगाया जायेगा' अंकित किया जाय। प्रस्तर 5-3-4 अ से ब तक व्याज की धनराशि निम्न प्रकार की गयी:- अ- 8 प्रतिशत ब- 8 1/2 प्रतिशत स-8 1/2 प्रतिशत द-12-1/2 प्रतिशत य-14 प्रतिशत प्रस्तर 6-1 अ-4 निम्नलिखित पंक्ति समाप्त कर दी जाय:- 'आवंटन होने वाले माह के अगले माह की अन्तिम तिथि तक' के स्थान कब्जा लेने वाले माह के अन्तिम तिथि तक' 'शब्द रखा जावे। इसी प्रकार में प्रस्तावित संशोधन के अन्तिम भाग में यह पंक्तियाँ और जोड़ दी जाये' 'भूमि के अर्जन की तिथि से 3 वर्ष तक तो व्याज आदि लगाया जायेगा परन्तु बाद में व्याज आदि नहीं लगाया जायेगा। प्रस्तर 8.6 10 प्रतिशत अतिरिक्त विकसित मूल्य लगाया जायेगा। स्वयं वित्त पोषित सेंटेज चार्जेज संशोधित किये जाये:-

1	2	3	4
31-	राम नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना(जिला नैनीताल)क्षेत्रफल 20·51 को एकड़ को परित्याग करने विषयक टिप्पणी।	पंचम/(31)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
32-	हरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बलिया की खसरा नम्बर 53/1 श्री देवलधारी सिंह के पक्ष में अर्जनमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(32)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
33-	आवास परिषद की जनपद वाराणसी में प्रस्तावित पाण्डेपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी में स्थित अनाधिकृत निर्माण को विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित करने के संबंध में।	पंचम/(33)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष निरीक्षण करके स्थिति का परीक्षण करेंगे तथा अपनी संस्तुति परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
34-	आवास परिषद की जनपद कानपुर में प्रस्तावित ''कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, कानपुर में समाविष्ट आयकर स्टाफ सहकारी आवास समिति लि0कानपुर की भूमि अर्जनमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(34)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन से पुनः अनुरोध किया जाय कि वे अपने आदेशों का पुनरीक्षण करें एवं यह भी अवगत कराया जाये कि चूंकि उपरोक्त समिति प्रकाशन के बाद पंजीकृत हुई है अतः उसके पक्ष में भूमि छोड़ा जाना उचित नहीं होगा अन्यथा सभी समितियां ऐसी मांग करेंगी। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रारम्भिक प्रस्ताव में भी खसरा नं0 इत्यादि विवरण अनिवार्यतः दिया जाय।
35-	राजपुर रोड योजना, देहरादून के अन्तर्गत डा0 अम्मार रिज़वी को स्वयं वित्त पोषित भवन प्रदिष्ट करने एवं ब्याज/दण्ड माफ करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(35)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पेनल ब्याज नहीं लगाया जायेगा एवं इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त को संयुक्त निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया जाय। यह निर्णय परिषद का निर्णय माना जायेगा।
36-	अभियन्त्रण अनुभाग के अन्तर्गत सोशियोलाजिस्ट के पद का पदनाम परिवर्तित करना चेनमैन के तीन पद तथा प्रोसेसवेयर के चार पद समाप्त कर इनके स्थान पर 2 पद सांख्यकीय सहायक एवं टंकक के पद का सृजन करना।	पंचम/(36)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से पारित किया गया।
37-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धित विनियम-1979 के विनियम-22 में संशोधन।	पंचम/(37)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नये आवंटन पर 5 वर्ष तक कोई शुल्क न लिया जाये एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित शुल्क तभी लिया जाये यदि विकास कार्य हो चुके हों।
		2- पुराने मामलों पर निर्माण कार्य शीघ्र कराने एवं प्लाट का आवंटन रद्द करने के लिये विधिवत राय ली जाय।	6ठें वर्ष 5 प्रतिशत 7वें वर्ष 10 ,, 8वें वर्ष 15 ,, 9वें वर्ष 30 ,, 10वें वर्ष 35 ,, बाद भूखण्ड निरस्त कर दिया जाय।
38-	संकल्प सं0-चतुर्थ/(49)/86 दिनांक 23-9-86 व्दारा गठित समिति की संस्तुति	पंचम/(38)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त,

1	2	3	4
			सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- क्रमांक-1 पद सं0-49 संस्तुति स्वीकृति की गयी कि परिषद की सेवा में लगे सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से लाभांश से छूट प्रदान की जाये। क्रमांक-2 पद सं0-59 यह मामला ब्यूरो को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। क्रमांक-3 पद सं0-60 यह मामला ब्यूरो को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। क्रमांक-4 पद सं0-70 उप समिति की संस्तुति पर यह निर्णय लिया गया कि दो निजी सचिवों के पद समायोजित करके उनके बदले 2 एक्स काडर पद सहायक आवास आयुक्त का बनया जाये। भविष्य में विनियमावली में यह प्राविधान कर दिया जाये कि पदोन्नति से सहायक आवास आयुक्तों के जो 50% पद भरे जाने हैं उनमें वेतनमान 775-1360 में कार्यरत निजी सचिवों/कार्यालय अधीक्षक को भी जो इसी रूप में 5 वर्ष तथा परिषद की पूरी सेवा 15 वर्ष पूर्ण कर लिये हों, सम्मिलित किया जाने पर विचार किया जावे। इन दो पदों के अतिरिक्त उक्त वेतनमान में कार्यरत पात्र निजी सचिवों/कार्यालय अधीक्षक को अगला वेतनमान देने के लिये भी अलग से प्रस्ताव दिया जाय ताकि इन्हें भी अवसर मिल सके। वास्तविक रूप में उपरोक्त सहायक आवास आयुक्त के दो पद तभी भरे जायें जब शासन इसकी अनुमति दे दे। शासन को इन दो पदों की स्वीकृति हेतु संस्तुति कर दी जाय क्योंकि पदों के सृजन पर शासन व्दारा पाबन्दी है। X क्रमांक-5 पद सं0-72 समिति की संस्तुति स्वीकृति की गयी। साथ यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में पुनरीक्षित वेतनमान केवल नियमित कर्मचारियों को दिया जाये। क्रमांक-6 मद सं0-73 परिषद ने उप समिति की संस्तुति स्वीकृति की। क्रमांक-7 मद सं0-74 परिषद ने निर्णय लिया कि यह पता लगाया जाये कि अन्य स्थानों पर पेंशन तथा ग्रेच्युटी के लिये क्या नियम लागू हैं एवं तत्पश्चात् परिषद के समक्ष रखा जाये। क्रमांक-8 मद सं0-79 उप समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जाय।
39-	परिषद में दैनिक वेतन पर तीन वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में।	पंचम/(39)/86	शासन को संदर्भित किया जाय कि जो लोग हड़ताल से पूर्व कार्य की आवश्यकतानुसार 3 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से समय समय पर ब्रेक देकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में लगाये गये थे उनकी सेवायें समाप्त करना परिषद के लिये संभव नहीं हो पा रहा है। इन पदों को स्थायी रूप से सृजित करने की अनुमति प्राप्त की जाय। शासन को अवगत कराया जाये कि कार्य आवश्यकता के अनुरूप था एवं परिषद को राजकीय कोष से धन नहीं मिलता अतः शासन अनुमति प्रदान करें।

1	2	3	4
40-	संशोधित भूमि अध्याप्ति अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर की बढ़ी हुई दरों पर परिषद के लिये अर्जित की गयी भूमि का प्रतिकर देने के सम्बन्ध में।	पंचम/(40)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यह मामला सैद्धान्तिक रूप से न्यायालय में ले जाया जाये एवं इस विशिष्ठ चयनित मामले पर भलीभांति चयन करने का दायित्व एवं अनुसरण करने का दायित्व विधि अधिकारी का होगा।
41-	धारा-28 की नोटिस में योजना में समाविष्ट समस्त भूमि के खसरा नं० व उनका क्षेत्रफल भी उल्लिखित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(41)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
42-	पंजीकरण हेतु जमा धनराशि पर व्याज।	पंचम/(42)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति इस संशोधन के साथ स्वीकृत प्रदान की गयी कि यदि परिषद 4 वर्षों में सम्पत्ति उपलब्ध नहीं करा सकेगी तो इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण धनराशि का व्याज सहित 10 गुना तथा तद्नुसार 7 वर्षों में 20 गुना नियमानुसार ऋण की सुविधा होगी। साथ ही साथ कैपिटल फारमेशन में ही पंजीकरण की राशि लगायी जाये ताकि एप्रिशियेटिव बैल बढ़ कर्चा मिल सके तथा लिक्विड एसेट उस समय तत्कालीन लाईबिलिटी को मीट कर सके।
43-	कार्यखण्ड गाजियाबाद में जीप के स्थान पर कार उपलब्ध कराने के संबंध में।	पंचम/(43)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
44-	परिषद कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वय वित्त पोषित योजना के भवनों के छूट के सम्बन्ध में।	पंचम/(44)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
45-	अनुशासनिक प्राधिकारी के व्दारा पारित शास्तियों के विरुद्ध सर्वश्री एम०आर० खान, सहायक अभियन्ता, एस०एन०एस०भगवार, सहायक अभियन्ता, जे०पी०गुप्ता, अवर अभियन्ता, के०के०अग्रवाल, अवर अभियन्ता तथा एस०एन० शर्मा, भू०पू० अवर अभियन्ता के व्दारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के प्रसंग में।	पंचम/(45)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
46-	कुमारी सत्या सूद, भू०पू०सदस्य, विधान परिषद को राजपुर रोड योजना देहरादून के अन्तर्गत भूखण्ड सं०-283 के प्रदेशन हेतु।	पंचम/(46)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
47-	मेरठ की योजना सं०-1 में टेलीफोन विभाग को प्रदिष्ट 1.99 एकड़ भूमि के देय मूल्य पर व्याज की छूट के सम्बन्ध में।	पंचम/(47)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि व्याज से छूट दिया जाना उचित नहीं होगा। इस संस्तुति के साथ शासन को पुनः संदर्भित किया जाये।
48-	श्री कदम सिंह ढाका को शास्त्रीनगर, मेरठ में मध्यम आय वर्ग भवन सं०-डी०-180 प्रदिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(48)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये भवन प्रदिष्ट कर दिया जाये परन्तु यह दृष्टान्त नहीं बनेगा।

1	2	3	4
49-	श्री सी०डी०शर्मा, मुख्य अभियन्ता नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(49)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि मुख्य अभियन्ता पद पर पहले मात्र से ही अधीक्षण अभियन्ता को प्रविष्टि देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा बल्कि कौन किसी किसकी प्रविष्टि देगा यह आवास आयुक्त परीक्षण करके आवश्यकतानुसार स्थिति परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
50-	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्माण कार्य जारी रखने के सम्बन्ध में।	पंचम/(50)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि व्यय सार्वजनिक निर्माण विभाग के ही अनुसार होगा।
51-	इन्दिरा नगर योजना देहरादून के अन्तर्गत डाक एवं तार विभाग को प्रदिष्ट भूमि दर के सम्बन्ध में।	पंचम/(51)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ब्याज से छूट दिया जाना उचित नहीं है। अत: शासन को पुन: मामला संदर्भित किया जाये।
52-	किराया पद्धति के आवंटन विनियमावली में अनुसूचित जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आरक्षण की सुविधा का प्राविधान।	पंचम/(52)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति के लिये 18 प्रतिशत आरक्षण किया जाय परन्तु ऐसे व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में न होने पर अन्य श्रेणी के लोगों की प्रतीक्षा के अनुरूप आवंटित किया जाय।
53-	तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्रमश: अल्प आय वर्ग एवं दु०आ०व०के भवनों में पंजीकरण खोला जाना एवं आय सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(53)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि दुर्बल आय वर्ग के झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने वाले व्यक्तियों की सैम्पुल चेकिंग कर निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जाय तथा
54-	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये दु०आ०व०/अ०आ०व०के भवनों के आवंटन हेतु देय पंजीकरण धनराशि हेतु देय पंजीकरण धनराशि में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(54)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आरक्षित वर्गों (परिषद कर्मचारी को भी सम्मिलित करते हुये) के लिये पंजीकरण की राशि का 25 प्रतिशत कर दी जाय।
55-	यदि स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को 24 माह में भवन आवंटित नहीं हो जाता है इस प्रकार के पंजीकरण आवेदकों को जमा कराने की तिथि से अगले माह की प्रथम तिथि से 24 माह के उपरान्त भवन आवंटित न होने की दशा में अथवा धनराशि मांगने पर साधारण 6 प्रतिशत ब्याज की दर से समस्त धनराशि पर प्रतिशत ब्याज देय होगा जो उनके व्दारा आवंटन से पूर्व जमा की गयी है परन्तु प्राविधान यह भी है कि यह धनराशि परिषद के पास 24 माह तक अवश्य जमा रहे, के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	पंचम/(55)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
56-	परिषद की लखनऊ स्थित योजनाओं में अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में श्री बी०के०बरबन्दा, सहायक आवास आयुक्त (पंजीकरण) की	पंचम/(56)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया गया कि आवश्यकतानुसार जीप/कार की व्यवस्था की जाये।

1	2	3	4
	सम्बन्धित धाराओं में प्रतिपादित अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में।		
57-	भूखण्डों के आवंटियों को मानक भवन डिजाइन के लिये परिषद व्दारा वास्तुविक सलाहकार सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	पंचम/(57)/86	परिषद व्दारा विचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। पद सृजन शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया।
58-	परिषद अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिनांक 1 नवम्बर-1986 से अन्तरिम सहायता का भुगतान।	पंचम/(58)/86	परिषद व्दारा विचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
59-	परिषद की मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-2) मुरादाबाद (क्षेत्रफल 850 एकड़ अनुमानित लागत रु0 3340.42 लाख।	पंचम/(59)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये स्थगित।
60-	काशीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 (जिला नैनीताल) का परित्याग	पंचम/(60)/86	परिषद व्दारा विचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
61-	पटेल नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, उरई में समाविष्ट श्री अरविन्द तिवारी, विधायक की कुलिंग गैस भण्डार गृह के अर्जनमुक्त करने विषयक।	पंचम/(61)/86	परिषद व्दारा बिचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
62-	सुरक्षा सैनिकों के आरक्षण के सम्बन्ध में।	पंचम/(62)/86	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
63-	इन्दिरा नगर लखनऊ में एक विश्रामालय निर्माण करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(63)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
64-	आवास परिषद के कर्मचारियों के कल्याणार्थ कर्मचारी अनुकम्पा निधि की स्थापना।	पंचम/(64)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी गयी कि आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष संयुक्त रूप से नियमों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया।
65-	आवास परिषद की डोमरोली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मिर्जापुर में विवादित रिट याचिका सं0-5243/81, 4576/81 तथा 4377/81 के सम्बन्ध में।	पंचम/(65)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये स्थगित।
66-	आवास परिषद की इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ईश्वरपुरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, लखनऊ की भूमि सं0 301, 302, 303, 311, 312, 313 तथा 315 क्षेत्रफल 20 रु0 570-4 वर्गमीटर भूमि अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/(66)/86	परिषद की अगली बैठक के लिये स्थगित।

1	2	3	4
67-	इन्दिरानगर लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजना 1984 के अन्तर्गत पंजीकृत श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना व्दारा किस्तों का भुगतान समय से न किये जाने के कारण दण्ड व्याज धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/(67)/86	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि व्याज जमा करने के उपरान्त सभी दण्ड व्याज माफ किया जायेगा।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी
[signature]
अध्यक्ष

प्रेम्बलीन-10-3-87